भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 765

26 जुलाई, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

स्वास्थ्य परिचर्या पेशेवरों का प्रशिक्षण

765. डॉ. एम. पी. अब्दुस्समद समदानी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास यह सुनिश्चित करने की कोई योजना है कि स्वास्थ्य परिचर्या पेशेवरों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के उद्देश्य में दूरदराज और वंचित क्षेत्रों में सुलभ स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने के लिए टेलीमेडिसिन प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग करना लक्षित हो;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या सरकार ने केरल राज्य के सार्वजनिक अस्पतालों में टेलीमेडिसिन अवसंरचना के विकास और संवर्धन के लिए कोई विशिष्ट धनराशि/संसाधन आबंटित की है; और
(घ) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ आबंटित एवं उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने आयुष्मान भारत योजना के कार्यान्वयन में नीतिगत उपाय के तौर पर टेलीमेडिसिन सेवाएं शुरू की हैं। वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए, टेलीमेडिसिन बहुत महत्वपूर्ण हो गया जिसके कारण प्रैक्टिशनर स्वास्थ्य परामर्श देने और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षित करने लिए एक तंत्र के रूप में डिजीटल प्लेटफॉर्म को उपयोग करने में सक्षम हुए। इसके अतिरिक्त, ई-संजीवनी प्लेटफॉर्म की क्षमता बढ़ाने के लिए अप्रैल, 2020 में ई-संजीवनी

ओपीडी शुरू की गई ताकि स्वास्थ्य परिचर्या की निरंतरता सुनिश्चित करते हुए रोगियों को उनके घरों में ही ऑनलाइन स्वास्थ्य सेवाएं नि:शुल्क प्रदान की जा सकें।

सरकार ई-संजीवनी प्लेटफॉर्म के माध्यम से टेलीमेडिसिन प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग के लिए स्वास्थ्य पेशेवरों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण को सुनिश्चित करती है। सी-डैक मोहाली में ई-संजीवनी टीम डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए उनकी क्षमता निर्माण के लिए आभासी प्रशिक्षण सत्र आयोजित करती है।

30 जून, 2024 की स्थिति के अनुसार, कुल 26,33,16,023 टेली-परामर्श दिए गए। यह सुविधा फिलहाल लगभग 4-5 लाख रोगियों को प्रतिदिन सेवा प्रदान कर रही हैं। ई-संजीवनी (टेलीमेडिसिन) सेवा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों मे 1,26,153 से अधिक आयुष्मान अरोग्य मंदिरों और 15,870 से अधिक हबों में कार्यशील है। वर्ष 2019 में इसके प्रारंभ से लेकर अब तक ई-संजीवनी पहल के तहत 2,14,715 चिकित्सकों/पराचिकित्सकों को जोड़ा और प्रशिक्षित किया गया है।

(ग) और (घ): वित्त वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत**"स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों पर टेली-परामर्श सुविधाओं"** हेतु केरल राज्य के लिए एसपीआईपी स्वीकृति और व्यय निम्नानुसार है:

(रु. लाख में)

वित्त वर्ष	एसपीआईपी अनुमोदन	व्यय
2021-22	-	33.81
2022-23	616.60	151.94
2023-24	4,810.59	182.94

नोट:

उपर्युक्त जानकारी राज्य द्वारा प्रस्तुत एफएमआर के अनुसार है तथा अनंतिम है।

व्यय में केंद्रीय योगदान, राज्य योगदान और वर्ष के आरंभ में अव्ययित शेष राशि शामिल है।

*****